जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ग्यारसी लाल मीना अध्यक्ष
श्रीमती हेमलता अग्रवाल सदस्या

परिवाद संख्या :– 860/2012

शकुन्तला देवी पत्नी श्री अशोक कुमार उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी– 13 ए शर्मा कॉलोनी, 22 गोदाम, जयपुर राज0।

परिवादिया

बनाम

1. डॉ. राजकुमार शर्मा नामालूम निवासी– मकान नम्बर 86 आदिनाथ नगर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
2. डॉ. आर.एम. सहाय मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ सहाय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भाभा मार्ग मोती डूंगरी जयपुर।

अप्रार्थी/ विपक्षीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थितः–

01. श्री मोर मुकुट गोठवाल अधिवक्ता परिवादिया।
02. श्री राजेश सक्सेना अधिवक्ता विपक्षीगण।

परिवाद प्रस्तुति दिनांकः– 16.05.2012

निर्णय दिनांकः– **18.09.2024**

01. परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया के दांयी आंख में थोडी परेशानी होने पर सर्वप्रथम दिनांक 19.12.2015 को अप्रार्थी सं0 1 को उसके घर पर दिखाया तथा देखने के पश्चात उसने दवाईयां लिख दी, उसके अनुसार परिवादिया ने दवाईया चालू कर दी और दिनांक 17.2.2006 को परिवादिया की आंख में इन्जेंक्शन लगाया जिससे कि आंख में कई दिनों तक दर्द रहा। अप्रार्थी सं0 1 के कहे अनुसार परिवादिया अपनी आंख को दिखाती रही एवं अप्रार्थी सं0 1, परिवादिया को दिलाशा देता रहा कि धीरे–धीरे आंख सही हो जायेगी, आप दवाईयां ले रहे। अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 24.09.2008 को परिवादिया को मोतियाबिन्द के ऑपरेशन की सलाह दी और कहा कि ऑपरेशन अप्रार्थी सं0 2 के सहाय हॉस्पिटल में करना

होगा। इस पर परिवादिया ने खर्चा पूछा तो उसे बताया कि यदि साधारण लैन्स लगवाओगें तो लैन्स 2000/—रूपये का आयेगा इसमें कुल खर्चा 8000/—रूपये लगेगें और यदि अच्छा लैन्स लगवाओगें तो लैन्स 8000/—रूपये का आयेगा इसमें कुल 18000/—रूपये लगेगें। दिनांक 26.03.2009 को ऑपरेशन होने से पहले ही परिवादिया ने अप्रार्थी सं0 1 के कहे अनुसार अप्रार्थी सं0 2 के यहां जरिये बिल नम्बर 2603004 द्वारा 18000/—रूपये नकद जमा करवा दिये । दिनांक 26.03.2009 को परिवादिया के दायी आंख में मोतियाबिन्द का ऑपरेशन अप्रार्थी सं0 2 सहाय हॉस्पिटल में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कर दिया। ऑपरेशन सवेरे तीन घंटे चला। अप्रार्थी सं0 1 के ऑपरेशन थियेटर से बाहर आने पर परिजनों ने पूछा तो अप्रार्थी सं0 1 ने ऑपरेशन कामयाब होना बताया। ऑपरेशन के कुछ दिनों पश्चात परिवादिया की आंख की पट्टी खोली गई लेकिन परिवादिया को दिखाई देने में कोई फायदा नहीं हुआ और आंख की पुतली भी सफेद हो गयी। परिवादिया के परिजनों ने अप्रार्थी सं0 1 को पुतली के सफेद होने के बारे में बताया तो उन्होनें कहा कि दवाईयां डालो धीरे—धीरे ठीक हो जायेगी और इसी विश्वास में परिवादिया इलाज करवाती रही। अप्रार्थी सं0 1 ने मोतियाबिन्द के ऑपरेशन में 2000/—रूपये का लैंस लगा दिया जबकि परिवादिया ने 8000/—रूपये के लैंस के हिसाब से कुल 18000/—रूपये जमा करवाये थे तथा ऑपरेशन असावधानी एवं लापरवाही पूर्वक किया गया जिससे कि आंख में सूजन व इन्फेक्शन होने से आंख की पुतली खराब हो गयी। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने निवास स्थान पर ही परिवादिया की दांयी आंख दिनांक 16.6.2009 को अहमदाबाद से आये डॉ. ंदीप अरोड़ा को दिखाई तथा आंख देखने के पश्चात दोनों डॉक्टरों ने आपस में बात करी उसके पश्चात कहा कि आंख में इन्जेक्शन लगाना होगा और उसके तीन महीने पश्चात वापस देखेगें। परिवादिया ने इन्जेक्शन लगवा लिया लेकिन तीन महिने पश्चात भी परिवादिया की आंख में कोई सुधार नहीं हुआ। परिवादिया ने वापस अप्रार्थी सं0 1 के घर पर दिनांक 07.03.2010 को डॉ. संदीप अरोडा को दिखाया, उन्होनें सी टी स्केन व अन्य जांचे करवाने को कहा। परिवादिया ने दिनांक 7.3.2010 को जांच करवा कर दिखाई लेकिन उन्होनें परिवादिया को हकीकत नहीं बताई। परिवादिया के परिजनों के रहने पर दिनांक 14.12.2010 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र अ.भा.आयु.स.(एम्स) नई दिल्ली में अपनी आंख दिखाने गई। दांयी आंख की सम्पूर्ण जांच होने के पश्चात दिनांक 29.4.11 को परिवादिया को बताया कि आपकी पुतली खराब हो चुकी है इसके स्थान पर नयी पुतली लगेगी। परिवादिया ने इसका कारण पूछा तो

मोतियाबिन्द का ऑपरेशन लापरवाही व असावधानी या उपेक्षा पूर्वक किया जाने से आंख में सूजन व इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण पुतली खराब हो गयी। दिनांक 25.5.11 को नेशनल नेत्र बैंक में रजिट्रेशन हो गया जिसका नम्बर(ज) 12580 है तथा ऑपरेशन के लिये हॉस्पिटल में भर्ती की दिनांक 29.05.2012 दे रखी है। परिवादिया, अप्रार्थी सं0 1 के यहां दिनांक 19.12.2005 से लगातार 31.12.2010 तक इलाज करवाती रही इससे पहले परिवादिया की पुतली बिल्कुल ठीक थी और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। अंत में परिवादिया ने लैंस के 18000/–रूपये मय ब्याज तथा जयपुर से दिल्ली आने जाने का किराया, ईलाज दौरान मेडिकल बिलों की राशि मय ब्याज आदि अनुतोष दिलाने की प्रार्थना की है।

02. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि परिवादी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व उपरोक्त उनवानी परिवाद धारा 69 उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 के प्रावधानों के तहत दो वर्ष की लिमिटेशन के अंदर दायर नहीं किया है क्योंकि परिवादी ने अप्रार्थी सं0 1 से दिनांक 19.12.2005 से अपनी दांयी आंख का ईलाज करवा रहा था तथा परिवादी की उक्त दायी आंख में मोतियाबिन्द का ऑपरेशन दिनांक 26.03.2009 को अप्रार्थी सं0 2 में किया गया। उसके बाद परिवादी ने अप्रार्थीगण से आखरी बार अपनी दायी आंख का ईलाज दिनांक 06.04.2010 को अप्रार्थीगण से करवाया तथा इसके बाद परिवादिया ने अपनी उक्त आंख का ईलाज अपनी मर्जी से अप्रार्थीगण से कभी नहीं करवाया। मान्नीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण के खिलाफ अंतिम बार कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 06.04.2010 को उत्पन्न होने से परिवाद दो वर्ष की लिमिटेशन के अंदर ही परिवादी द्वारा दायर करना था जो कि डिले दिनांक 16.05.2012 को पेश किया है। उक्त चिकित्सक या हॉस्पिटल में अपना ईलाज करवाने के बाद किसी भी अन्य चिकित्सक या हॉस्पिटल में अपना आगे का ईलाज करवाने से उक्त चिकित्सक या हॉस्पिटल के विरूद्व उपभोक्ता परिवाद दायर करने का वाद कारण नये सिरे से उत्पन्न नहीं होता है। अतः परिवाद मान्नीय न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं है। परिवादिया ने अपनी दायी आंख का ईलाज अप्रार्थीगण से आखरी बार दिनांक 06.04.2010 (एक्जीबिट पी–14) को करवाने के 8 महीने के बाद अपनी उक्त आंख का ईलाज एम्स, नई दिल्ली में करवाना शुरू किया तथा एम्स, नई दिल्ली में ईलाज करवाने की समयावधि के अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है। यह भी कथन किया कि आंख के मोतियाबिन्द के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होना चिकित्सक या हॉस्पिटल

की लापरवाही नहीं होती है। परिवादिया का यह कहना कि मोतियाबिन्द के ऑपरेशन के बाद उसकी पुतली खराब हुई, एकदम झूंठा एवं असत्य आरोप है।

03. पक्षकारों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया।

04. परिवादिया ने सर्वप्रथम दिनांक 19.12.2005 को अप्रार्थी सं0 1 डॉ. राजकुमार शर्मा को दिखाया। दिनांक 17.02.2006 को परिवादिया के आंख में इन्जेक्शन लगाया जिससे कि आंख में कई दिनों तक दर्द रहा। परिवादिया हर महिने लगातार अप्रार्थी सं0 1 राजकुमार शर्मा के कहे अनुसार अपनी आंख दिखाती रही व इलाज करवाती रही। अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 24.09.2008 को परिवादिया को मोतियाबिन्द के ऑपरेशन की सलाह दी और कहा कि ऑपरेशन अप्रार्थी सं0 2 सहाय हॉस्पिटल में करना होगा। परिवादिया ने खर्चा पूछा तो उसे बताया कि यदि साधारण लैन्स लगवाओगें तो लैन्स 2000/—रूपये का आयेगा इसमें कुल खर्चा 8000/—रूपये लगेगें और यदि अच्छा लैन्स लगवाओगें तो लैन्स 8000/—रूपये का आयेगा इसमें कुल 18000/—रूपये लगेगें। परिवादिया 18000/—रूपये देने को तैयार हो गई। दिनांक 26.03.2009 को ऑपरेशन होने से पहले ही परिवादिया ने अप्रार्थी सं0 1 के कहे अनुसार अप्रार्थी सं0 2 के यहां जरिये बिल नम्बर 2603004 द्वारा 18000/—रूपये नकद जमा करवा दिये तथा दिनांक 26.03.2009 को परिवादिया के दायी आंख में मोतियाबिन्द का ऑपरेशन अप्रार्थी सं0 2 सहाय हॉस्पिटल में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कर दिया गया। ऑपरेशन सवेरे तीन घंटे चला। अप्रार्थी सं0 1 के ऑपरेशन थियेटर से बाहर आने पर परिजनों ने पूछा तो अप्रार्थी सं0 1 ने ऑपरेशन कामयाब होना बताया परन्तु जब परिवादिया की आंख की पट्टी खोली गई तो परिवादिया को दिखाई देने में कोई फायदा नहीं हुआ और आंख की पुतली भी सफेद हो गयी। परिवादिया के परिजनों ने अप्रार्थी सं0 1 डॉक्टर को पुतली के सफेद होने के बारे में बताया तो उन्होनें कहा कि दवाईयां डालो धीरे—धीरे ठीक हो जायेगी। अप्रार्थी सं0 1 ने मोतियाबिन्द के ऑपरेशन में 2000/—रूपये का लैंस लगा दिया, इसका पता उपयोग में लेने के समय चला। ऑपरेशन असावधानी एवं लापरवाही पूर्वक किया गया जिससे कि आंख में सूजन व इन्फेक्शन होने से आंख की पुतली खराब हो गयी। सूजन व इन्फेक्शन रोकने का अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने निवास स्थान पर ही परिवादिया की दांयी आंख दिनांक 16.6.2009 को अहमदाबाद से आये डॉ. संदीप अरोड़ा को दिखाई तथा आंख देखने के पश्चात दोनों डॉक्टरों ने आपस में बात करके कहा कि

आंख में इन्जेक्शन लगाना होगा और उसके तीन महीने पश्चात वापस देखेगें। परिवादिया ने इन्जेक्शन लगवा लिया लेकिन तीन महिने पश्चात भी परिवादिया की आंख में कोई सुधार नहीं हुआ। परिवादिया ने वापस अप्रार्थी सं0 1 के घर पर दिनांक 07.03.2010 को डॉ. संदीप अरोडा को दिखाया, उन्होनें सी टी स्केन व अन्य जांचे करवाने को कहा। परिवादिया ने दिनांक 7.3.2010 को जांच करवा कर दिखाई लेकिन उन्होनें परिवादिया को हकीकत नहीं बताई। इसके बाद परिवादिया ने दिनांक 14.12.2010 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र अ.भा.आयु.स.(एम्स) नई दिल्ली में अपनी आंख दिखाने गई। समस्त जांच होने के पश्चात दिनांक 29.4.11 को परिवादिया को बताया कि उसके आंख की पुतली खराब हो चुकी है उसके स्थान पर नयी पुतली लगेगी। परिवादिया ने इसका कारण पूछा तो मोतियाबिन्द का ऑपरेशन लापरवाही व असावधानी या उपेक्षा पूर्वक किया जाने से आंख में सूजन व इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण पुतली खराब हो गयी। दिनांक 25.5.11 को नेशनल नेत्र बैंक में रजिट्रेशन हो गया जिसका नम्बर(ज) 12580 है तथा ऑपरेशन के लिये हॉस्पिटल में भर्ती की दिनांक 29.05.2012 दे रखी है। लेकिन उक्त दिनांक को बिस्तर खाली नहीं होने के कारण भर्ती नहीं किया गया तथा दि. 22.06.2012 को परिवादिया को पुतली लगाने के लिये भर्ती किया गया जिसका के.प.सं. 416858, ओ.पी.डी सं. 287653, वार्ड सं. 2–बी, बिस्तर सं. 248 एकक 3 है लेकिन नेशनल नेत्र बैंक में पुतली नहीं आने के कारण एवं काले पानी का इलाज पहले करवाने के कारण परिवादिया को दिनांक 04.07.2012 को छुट्‌टी दे दी गई तथा प्रार्थीया की आंख में ज्यादा परेशानी होने पर दुबारा आंख में काले पानी के ऑपरेशन के लिये दिनांक 04.08.2012 को भर्ती किया गया जिसका के. प. सं. 418984 ओ.पी.डी सं. 89335 वार्ड सं. जे ए, बिस्तर सं. 126, एकक 6 है तथा परिवादिया का काले पानी का ऑपरेशन कर दिया गया एवं दिनांक 11.08.2012 को छुट्‌टी दे दी गई । परिवादिया की आंख में पुतली लगवाने के लिये उक्त अस्पताल में इलाज निरन्तर चालू है। पत्रावली में मेडिकल बिल पेश किये है। परिवादिया के मोतियाबिन्द के ऑपरेशन के पश्चात अप्रार्थी सं0 1 द्वारा Prescription slip दिनांक 31.03.2009 में Prednisolone दवाई लिखी गई। हर बार हर पर्ची में दिनांक 04.03.2010 तक Prednisolone लिखी गई जो कि यह दवाई अधिक देने से इन्फेक्शन हुआ है तथा इस दवाई के जरिये steroids चला गया जिससे आंख में परेशानी हुई या खराब हो गई। परिवादिया ने State Consumer Disputes Redressal Commission U.P. Lucknow द्वारा न्यायिक दृष्टांत Kumari Kritika vs Dr. Harish Gupta on

23 November 2023 Appeal no. 1735 of 2018 पेश किया जिसमें यह निर्धारित किया है कि PRODUCT INTRODUCTION- Pred Forte (Prednisolone) Opthalmic Suspension blongs to a group of medicine called steroids. It is used for the treatment of redness and swelling in the eyes caused by infection or allergy. It provides relief from redness, itchiness and soreness by stopping the release of substances in the body that cause inflammation.

05. जबकि, विपक्षी सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि परिवादिया ने अप्रार्थी सं0 1 से दिनांक 9.12.2005 से अपनी दायी आंख का इलाज करवा रही थी । परिवादी की दायी आंख में मोतियाबिन्द का ऑपरेशन दिनांक 26.03.2009 को अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा किया गया। आखरी बार अपनी दायी आंख का ईलाज दिनांक 06.04.2010 को अप्रार्थीगण से करवाया तथा इसके बाद परिवादिया ने अपनी उक्त आंख का ईलाज अप्रार्थीगण से कभी नहीं करवाया इसलिए परिवादिया को यदि अपनी उक्त आंख के इलाज में अप्रार्थीण की लापरवाही, सेवादोष या अनफेयर ट्रेड संबंधी कोई शिकायत थी तो उसके संबंध में अप्रार्थीगण के खिलाफ अंतिम बार कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 06.04.2010 को उत्पन्न होने से परिवाद दो वष की लिमिटेशन के अंदर ही परिवाद दायर करना चाहिये था जबकि परिवादिया ने परिवाद डिले के साथ दिनांक 16.05.2012 को मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। परिवाद मियाद बाहर अर्थात लिमिटेशन में नहीं है। मान्नीय राष्ट्रीय आयोग एवं मान्नीय राज्य आयोग ने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि किसी चिकित्सक के विरूद्व लापरवाही या अस्पताल से आखरी बार जिस दिन ईलाज लिया होता है उससे दो वर्ष के अंदर मान्नीय न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर करना होता है। इस आधार पर मान्नीय न्यायालय में परिवाद चलने योग्य नहीं है। परिवादिया ने अपनी दांयी आंख का ईलाज आखरी बार दिनांक 06.04.2010 को करवाने के 8 महीने के बाद अपनी उक्त आंख का ईलाज एम्स, नई दिल्ली में करवाना शुरू किया तथा एम्स, नई दिल्ली में ईलाज करवाने की समयावधि के अनुसार यह परिवाद पेश किया है जो लिमिटेशन में पेश नहीं किया है तथा धारा 69 उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है। परिवादी का दिनांक 24.09.2008 को अप्रार्थी सं0 1 हॉस्पिटल में दायी आंख के मोतियाबिन्द का ऑपरेशन करवाने से पहले से ही आंख में सूजन थी और आंख की

पुतली कमजोर थी जिसके कारण उक्त ऑपरेशन के पश्चात रिस्क ज्यादा थी जिसके बारे में परिवादिया को पहले ही बता दिया था। परिवादिया को अहमदाबाद से आये डॉ संदीप अरोडा, कोरोनिया के ईलाज के विशेषज्ञ को दिखाया जिस पर परिवादिया को काला पानी एवं केरिटोप्लास्टिक कराये जाने की सलाह दी थी लेकिन परिवादिया ने डॉ. संदीप अरोडा की सलाह को भी नहीं माना। अप्रार्थीगण के द्वारा परिवादिया के दायी आंख के मोतियाबिन्द के ऑपरेशन कर आंख में लैन्स लगाया गया था तथा अन्य ईलाज में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या सेवादोष नहीं किया गया है। परिवादिया का मोतियाबिन्द का ऑपरेशन सही प्रकार से किया गया है क्योंकि परिवादिया का पहले से ही कोरनिया/पुतली खराब थी जिसके कारण परिवादिया को सही प्रकार से दिखाई नहीं देता था। परिवादिया ने अंतिम बार अपनी दांयी आख का ईलाज अप्रार्थी सं0 1 से दिनांक 06.04.2010 को करवाया था। आंख के मोतियाबिन्द के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होना चिकित्सक या हॉस्पिटल की लापरवाही नहीं होती है। परिवादिया के दायी आंख की कोरनिया/पुतली पहले से ही खराब थी जिसके कारण उक्त आंख का विजन नही के बराबर था तथा उसके संबंध में वर्ष 2005 से अप्रार्थी सं0 1 डॉ. राजकुमार शर्मा से अपना इलाज ले रही थी इसलिये परिवादिया का यह कहना कि मोतियाबिन्द ऑपरेशन के बाद उसकी आंख की पुतली खराब हुई बिल्कुल झूंठ व असत्य है।

06. परन्तु, हमारी राय में परिवादिया ने अप्रार्थी सं0 1 से आंख का ऑपरेशन करवाया और विपक्षी सं0 2 के यहां ऑपरेशन किया गया जो कि ऑपरेशन सही नहीं हुआ जिसके चलते परिवादिया को एम्स, नई दिल्ली में दिखाया, वहां कहा गया कि परिवादिया के जो पूर्व में Prednisolone चल रही थी, उसके जरिये परिवादिया के steroids जाने से आंख में इन्फेक्शन हो गया और ऑपरेशन सही नहीं हुआ। परिवादिया की ओर से मान्नीय सुप्रीम कोर्ट की नजीर– V. Kishan Rao Vs Nikhil Super Speciality Hospital & Anr on 8 March 2010 पेश की गई है जिसमें यह माना है कि :– In the facts and circumstances of the case expert evidence is not required and District Forum rightly did not ask the appellant to adduce expert evidence. तथा मान्नीय राज्य आयोग, यू.पी लखनउ की नजीर– Kumari Kritika vs Dr. Harish Gupta on 23 November 2023 में यह माना है कि PRODUCT INTRODUCTION- Pred Forte (Prednisolone) Opthalmic Suspension blongs to a group of medicine called steroids. It is used for the treatment of redness and swelling in the

eyes caused by infection or allergy. It provides relief from redness, itchiness and soreness by stopping the release of substances in the body that cause inflammation. Steroid जाने से परिवादिया की आंख खराब हुई और सफेद पुतली हो गई और यह भी लिखा हुआ है कि Steroid usage can also cause many adverse effects. Some of these effects are on the eye, the most important being steroid –induced glaucoma and cataracts. Ocular hypertension can also occur after intranasal, inhalational systemic use, and dermatological application.

07. विपक्षीगण का यह कहना कि दो साल के बाद यह परिवाद पेश किया है जो कि लिमिटेशन के बाहर है। परन्तु परिवादिया ने पत्रावली में दवाईयों के बिल पेश कर रखे है और डॉक्टर को अंतिम बार दिनांक 06.04.2010 को दिखाया है जिसकी दवाई परिवादिया लगातार लेती रही है परन्तु परिवादिया के आंख में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद परिवादिया अपने परिजनों के कहने पर दिनांक 14.12.2010 को एम्स, नई दिल्ली में अपनी आंखे दिखानी गई है उसके बाद भी निरन्तर एम्स, नई दिल्ली में आंख दिखाई है और दिनांक 04.08.2012 को भर्ती किया परन्तु परिवादिया दिनांक 14.12.2010 से पहले डॉ. राजकुमार शर्मा का ही इलाज लेती रही है इसलिए परिवादिया का परिवाद मियाद अवधि में है । विपक्षीगण द्वारा परिवादिया का ठीक प्रकार से ऑपरेशन नहीं कया गया व एक दवाई बार–बार दी गई जिससे Steroid भी अधिक चला गया और परिवादिया को दायी आंख से कुछ भी दिखाई नहीं दिया और पुतली सफेद हो गई। परिवादिया के आंख की वजह से ही सिर में हमेशा दर्द रहता है। विपक्षी सं0 1 डॉ. राजकुमार शर्मा द्वारा लापरवाही पूर्वक मोतियाबिन्द का ऑपरेशन करने से इन्फेक्शन होने के कारण परिवादिया के आंख की पुतली खराब हो गयी है जो कि विपक्षी सं0 1 द्वारा असावधानी व लापरवाही पूर्वक किए जाने के कारण ही इन्फेक्शन हुआ है जो कि उनका उक्त कृत्य गंभीर सेवा दोष की श्रेणी में आता है। विपक्षी सं0 1 ने मोतियाबिन्द का ऑपरेशन विपक्षी सं0 2 के यहां किया है।

08. अतः परिवादिया को विपक्षीगण से उनके द्वारा परिवादिया से लिये गये ऑपरेशन व लैंस के 18000/– (अक्षरे अठारह हजार रूपये) मय ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित है। परिवादिया की आंख हमेशा के लिए खराब हो गई है जिसके चलते परिवादिया को मानसिक संताप हुआ जिसके पेटे 16,50,000/–(अक्षरे सौलह लाख पचास

हजार रूपये) तथा परिवाद व्यय के 11000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रूपय) दिलाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः परिवादिया का परिवाद विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है किः–

01. विपक्षीगण, परिवादिया को उससे लिये गये ऑपरेशन व लैंस के 18000/–(अक्षरे अठारह हजार रूपये) व इस राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करें।
02. इसके अलावा विपक्षीगण, परिवादिया को मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति पेटे 16,50,000/–रूपये व परिवाद व्यय के 11000/–रूपये, कुल 16,61,000/–(अक्षरे सौलह लाख इकसठ हजार रूपये) आज से एक माह में अदा करें अन्यथा परिवादिया इस राशि पर आज की तारीख से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने की अधिकारिनी होगी।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को खुले आयोग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीमती हेमलता अग्रवाल)
सदस्या

(ग्यारसी लाल मीना)
अध्यक्ष